न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

(1)अपील संख्या 87 / 2012

हाजी करीमबक्श पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. आजमखां पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जेरिये तहसीलदार घडसाना । —रेस्पोडेन्टान

(2) अपील संख्या 97 / 2012

करीमबक्श पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. मारूफ पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान निवासी 2 एसटीवाई हाल 7 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घड़साना। —रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी घड़साना दिनांक 30.03.2012
उपस्थितिः—

श्री राधेश्याम विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुशील गोदारा अभिभाषक रेस्पो.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :—** 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / रेस्पों. सं. 1 आजम खां ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के तहत पेश कर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 2 एस.टी.वाई के प.नं. 89/334 मु.नं. 80 के कि.नं. 5, 6, 7, 14 व 15 की 5 बीघा भूमि को आगे रहन बैय न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। इसी प्रकार का एक अन्य वाद प्रार्थी/ रेस्पों. सं. 1 मारूफ ने उपखण्ड घडसाना के समक्ष पेश किया जिसमें अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 2 एस.टी.वाई के प.नं. 89/34 मु.नं. 80 के कि.नं. 16 ता 18, 24 , 25 की कुल 5 बीघा भूमि को रहन बैय नहीं करने एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखने का निवेदन किया। दोनों ही प्रा.पत्रों का अप्रार्थी ने जबाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि का अप्रार्थी खातेदार कृषक है, उसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती एवं प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने दिनांक 30.03.2012 को दोनों ही प्रा.पत्र स्वीकार कर लिये जिसके विरूद्ध अप्रार्थी अपीलांट ने उक्त दोनों अपीलें पेश की हैं। दोनों ही अपीलों में तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से दोनों अपीलों की बहस एक साथ सुनी गई। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर विधिक भूल की है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पों. पिता पुत्र हैं। यदि अपीलांट द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि दोनों अपीलें खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील सं. 97/2012 करीम बक्श बनाम मारूफ आदि निर्णय दिनांक 30.03.2012 व अपील सं. 87/2012 करीम बक्श बनाम आजम निर्णय दिनांक 30.03.2012 अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय के विरूद्ध पेश हुई है। दोनों ही अपीलाधीन आदेशों में विवादित आराजी चक 2 एस टी वाई के मु.नं. 79 प.नं. 89/42 की 4.301है0 व मु.नं. 80 के प.नं. 89/34 की 2.783है0 कमाण्ड कुल 7.084है0 एक ही होने से दोनों का निर्णय एक साथ किया जाता है जिसमें अपीलांट की खातेदारी भूमि पर रेस्पों. के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट पिता है तथा रेस्पों. पुत्र है। पिता की खातेदारी भूमि पर पुत्रों द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया है जो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध सामन्यतया अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए तथा अधी. न्यायालय द्वारा ऐसे तर्क संगत आधार भी नहीं दर्शाए जो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए पर्याप्त हों। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2012 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर